



2026:AHC:50757

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 898/2026

अजीत कुमार एवं 6 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: राजेश प्रसाद

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- वर्तमान रिट याचिका उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 9ए(2) के अंतर्गत कार्यवाही में चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2025 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारम्भिक आपत्ति यह कहते हुए उठाई गई है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जाने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
- याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के संबंध में विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का खंडन नहीं किया गया है।
- मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।
- अतः, उपर्युक्त वर्णित वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर, पोषणीय न होने के कारण वर्तमान रिट याचिका निरस्त की जाती है।
- कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति को अभिलेख पर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।



(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

12 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.